अनुमण्डलीय न्यायालय–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0–185 / 2017

08.08.2022 उभय पक्षों की पैरवी है। वादी की ओर से दिनांक–23.08.2021 को आदेश 39 नियम 9 के धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत अंतगरिम निषेधाज्ञा निर्गत करने संबंधी आदेश पत्र तथा प्रतिवारी की ओर से दिनांक–23.08.2021 को दाखिल आदेश 26 नियम 9 वो धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति आवेदन पत्र तथा प्रतिवादी की ओर से दिनांक–21.07.2022 को दाखिल तरदीद तथा वादी की ओर से दाखिल तरदीद को आज संचालित किया गया। वादी के अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–08.05.2018 के माध्यम से पक्षकारो को यह निर्देशित किया गया है कि पक्षकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति को बनाये रखे प्रतिवादी संख्या–2 जबरन वर्तमान स्थितियों को परिवर्तित करने की कोशीश कर रहे हैं। अतः वाद के अन्तिम रूप से निस्तारण होने तक संपूर्ण वाद ग्रस्त भूखण्ड पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाहय।

प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से दिनांक–23.08.2021 के आवेदन पत्र पर अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी संख्या–2 वाद ग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करने की साजिस कर रहे हैं। अतः अधिवक्ता आयुक्त के बहाल पर प्रतिवेदन की मांग की जाय। प्रतिवादी अधिवक्ता आयुक्त की खर्चा देने को तैयार है।

प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से दिनांक–23.08.2021 के आवेदन के अवलोकन से दाखिल तरदीद दिनांक–21.07.2022 पर अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र मेंटेनेबुल नहीं है। वाद लिंगर करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। पंचनामा के आधार पर बंटवारा हो चुका है प्रतिवादी के जीविका का एकमात्र साधन खेती है वादी तथा प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर बारी–बारी से खेती करते हैं, तंग वो परेशान करने के नियत से दाखिल किया गया है। अतः गलत ब्यानवाजी करने के आधार पर दिनांक 23.08.2021 को अधिवक्ता आयुक्त बहाली का आवेदन पत्र को खर्चे के साथ खारिज किया जाय। वादी के अधिवक्ता द्वारा दाखिल तरदीद को संचालित करते हुए प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से दाखिल आवेदन पत्र प्रतिवेदन का विरोध नहीं करते है।

लगातार

22.08.2022

उभय पक्षों के अधिवक्ता को सविस्तार सूना। अभिलेख अवलोकन के पश्चात् प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दिनांक– 23.08.2021 को दाखिल आवेदन पत्र अधिवक्ता आयुक्त बहाली का न्यायहित में स्वीकत किया जाता है तथा अधिवक्ता आयुक्त श्री रामजी मिश्रा को नियुक्त किया जाता है। प्रतिवादी सं0–01 को आदेश दिया जाता है कि मो0 1500/– रूपया अधिवक्ता आयुक्त का फी जमा करें तथा आवश्यक आपेक्षिकाएं दाखिल करे तत्पश्चात् जॉचोपरान्त कार्यालय रीट निर्गत करें।

दिनांक– वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय